

कार्यालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम

क्रमांक :- 1269

दिनांक :- 3/7/2026

आदेश

मैं, पुलकित शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12(1) व 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम के अनुमोदन आदेश क्रमांक स्थापना/2026/2659 दिनांकित 02.07.2026 की पालना में जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र में जयपुर मुख्यालय पर स्थित विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट केसेज) न्यायालयों के मध्य कार्य के समानीकरण एवं प्रशासनिक प्रयोजनों से पूर्व प्रसारित क्षेत्राधिकार प्रदत्त संबंधी आदेशों को आंशिक रूप से इस आदेश की सीमा तक अतिलंग्घित करते हुये कॉलम संख्या-03 में अंकित आरक्षी केन्द्र से संबंधित धारा 138 एन.आई. एक्ट एवं धारा 25 पी. एण्ड एस.एस. एक्ट के प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार कॉलम संख्या-02 में अंकित न्यायालय को निम्न प्रकार प्रदत्त करता हूँ:-

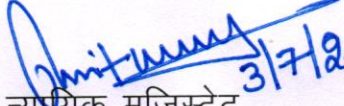
जयपुर मुख्यालय

क्र०सं०	नाम न्यायालय, जिसको कॉलम नम्बर 03 में अंकित आरक्षी केन्द्र की सीमा क्षेत्र में उद्भूत धारा 138 एन. आई. एक्ट एवं धारा 25 पी. एण्ड एस.एस. एक्ट के प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया गया है।	आरक्षी केन्द्र का नाम, जिसकी सीमा क्षेत्र में उद्भूत धारा 138 एन. आई. एक्ट एवं धारा 25 पी. एण्ड एस.एस. एक्ट के प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार कॉलम नंबर 02 में अंकित न्यायालय को प्रदत्त किया गया है।
(01)	(02)	(03)
(1)	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन. आई. एक्ट केसेज) क्रम-6, जयपुर महानगर प्रथम	विधायकपुरी

नोट :-

1. उक्त आदेश दिनांक 06.07.2026 से प्रभावी होगा तथा दिनांक 06.07.2026 से पूर्व अर्थात् दिनांक 05.07.2026 तक के परिवाद आदि समस्त कार्यवाहियां पूर्व क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा सम्पादित की जावेंगी तथा दिनांक 06.07.2026 एवं उसके बाद प्रस्तुत परिवाद आदि समस्त कार्यवाहियां इस आदेश द्वारा प्रदत्त नवीन क्षेत्राधिकार प्राप्त करने वाले न्यायालय द्वारा की जावेगी।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश द्वारा जयपुर महानगर प्रथम के थाना क्षेत्र की सीमाओं पर अधिकारिता रखने वाले वर्तमान न्यायालयों का मुख्यालय परिवर्तन नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की भ्रांति की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता से निर्देश प्राप्त किये जावेंगे।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:-

क्रमांक :- 1270 to 1281

दिनांक :- 3/7/2026

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम।
2. श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
3. श्रीमान महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर
4. श्रीमान पुलिस आयुक्त, जयपुर महानगर
5. न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट केसेज) क्रम-6/9, जयपुर महानगर प्रथम।
6. सहायक निदेशक, अभियोजन, प्रथम, जयपुर महानगर।
7. उपायुक्त पुलिस पूर्व/दक्षिण/मुख्यालय/यातायात/जयपुर ग्रामीण
8. दी बार एसोसिएशन, बनीपार्क, जयपुर महानगर प्रथम
9. समस्त आरक्षी केन्द्र, जयपुर महानगर प्रथम।
10. पुलिस कण्ट्रोल रूम, जयपुर महानगर को समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित किए जाने हेतु।
11. नोटिस बोर्ड।
12. आदेश पत्रावली/सम्बन्धित पत्रावली


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम

